

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 350(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टाकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 591(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अंजली (ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के लिए सोसाइटी) डाकखाना-रानासन, मार्फत हरसोल, तालुका प्राणतिज, साबरकांधा, गुजरात-383305 द्वारा रानासन, हरसोल, साबरकांधा, गुजरात में ट्यूटोरियल एवं बाल गतिविधि कक्ष/कम्पाउण्ड वाल का निर्माण, उपकरण, वाहन, साजोसामान उपलब्ध कराना और अंजलि अस्पताल तथा टी०बी० केन्द्र को चलाना और बाल एवं शैक्षिक गतिविधियों को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 872 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंजली ( ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के लिए सोसाइटी) डाकखाना-रानासन, मार्फत हरसोल, तालुका प्राणतिज, साबरकांधा, गुजरात-383305 द्वारा रानासन, हरसोल, साबरकांधा, गुजरात में ट्यूटोरियल एवं बाल गतिविधि कक्ष/कम्पाऊण्ड बाल का निर्माण, उपकरण, वाहन, साजोसामान उपलब्ध कराना और अंजलि अस्पताल तथा टी0बी0 केन्द्र को चलाना और बाल एवं शैक्षिक गतिविधियों को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पच्चीस लाख रुपए कीकॉर्पस निधि सहित मात्र तैंतीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[ सं. 65-2003/फा. सं. एन.सी.-166/2002 ]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)